न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 413/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/441)

तुलसीराम पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी ग्राम रामडी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 152/2017 तुलसीराम बनाम नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर निर्णय दिनांक 15.12.2017 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर ने आदेश दिनांक 21.9.2015 से अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। जिसकी अपील तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष की गई। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2017 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार मलारनाडूंगर का निर्णय 21.09.2015 यथावत रखा गया। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2017 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। हर दो तहत अदालतों के आदेश

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते क्योंकि नायब तहसीलदार ने निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया और न ही सुनवाई व साक्ष्य का प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया तथा अपूर्ण एवं विधिक रूप से अपर्याप्त नोटिस की पर्याप्त एवं विधिवत तामील मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि कतई अवैध है। ग्राम रामडी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 318 किस्म गैर मुमकिन तलाई के 20 ऐयर भाग पर अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2072 में तथा उससे पूर्व कभी भी अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही वर्तमान में इस भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है और ना ही भविष्य में कभी अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमण करेगा। अपीलान्ट के विरूद्ध सम्वत 2072 में उक्त भूमि पर तिल की बुवाई कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत मौके के विपरीत पेश की गई है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। दोनों अदालत मातहतों ने अपीलान्ट की ओर से बताए गए उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना या जाँच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है। इस संबध में मौके पर कोई जांच नहीं की गई है और ना ही पटवारी हल्का के व आस–पास के स्वतन्त्र गवाहों के सशपथ बयान दर्ज किये गये तथा अपीलान्ट को पटवारी द्वारा दिये गये बयानों में जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने में भी अहम कानूनी भूल की है, क्योंकि विवादित भूमि पर सम्वत् 2072 में अथवा उससे पूर्व कभी भी अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही अपीलान्ट को इस भूमि से पूर्व में अतिक्रमी मानते हुये कभी बेदखल किया गया। अपीलान्ट को पूर्व में मौके से बेदखल किये जाने एवं अपीलान्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करना साबित नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर ने अहम कानूनी भूल की है। तहत अदलात अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने नायब तहसीलदार के निर्णय को विधिवत मानने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने निर्णय पारित करने से पूर्व उपनिवेशन अधिनियम अथवा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अतिक्रमण सम्बन्धी नियमों की कतई पालना नहीं की है इस बिन्दु पर तहत अदालत ने भी गौर नहीं किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट ने दिनांक 04.01.2018 को जरिये अधिवक्ता नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया था जिस पर नकल 17.01.2018 को प्राप्त हुई। नकल प्रार्थना प्रस्तुत करने से लेकर नकल प्राप्त होने तक की उक्त अवधि को मियाद मुजरा देते हुये यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 तथा नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 को अपास्त किये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम रामडी के खसरा नंबर 318 किस्म गैर मुमकिन तलाई के 0.20 है0 भूमि पर तिल की फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने तथा पश्चातवर्ती अतिचार होने का उल्लेख करते हुए पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मलारनाडूंगर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91/उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसमें दिनांक 21.09.2015 को उपस्थित होकर पक्ष रखने की अपेक्षा की गई थी। उक्त नोटिस की अपीलान्ट को विधिवत तामील होने पर निर्णय दिनांक को अपीलान्ट के उपस्थित होने का उल्लेख करते हुए नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 पारित किया है। उक्त निर्णय पूर्व मुद्रित प्रारूप में है। जिसमें न तो यह उल्लेख है कि अपीलान्ट सुनवाई की तिथि को उपस्थित हुआ या अनुपस्थित हुआ। उक्त निर्णय में अतिक्रमी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। जबकि दिनांक 21.09.2015 की आदेशिका में अपीलान्ट के उपस्थित होने का उल्लेख किया हुआ है, जो कि परस्पर विरोधाभासी है। इसके अलावा नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के बयान भी दिनांक 21.09.2015 को लिये गये हैं, जो कि पूर्व मुद्रित प्रारूप में है। इसमें खाली स्थानों की पूर्ति की गई है। पटवारी हल्का की ओर से दिये गये बयान में यह उल्लेख नहीं है कि अपीलान्ट के द्वारा विवादित भूमि पर किस वर्ष में अतिक्रमण किया गया तथा अपीलान्ट को विवादित भूमि से कब बेदखल किया गया। नायब तहसीलदार ने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख करते हुए कि अतिक्रमी का पूर्व रिकार्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचार साबित होता है। इस आधार पर 1 माह की सजा दी जाती है, परन्तु पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में संलग्न नहीं है। नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित निर्णय की प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2017 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। जिसमें पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में यह उल्लेख किया है कि इसका पटवारी हल्का की रिपोर्ट में वर्णन है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी अनुशंषा की है तथा पटवारी हल्का के बयान भी संलग्न है। अपीलान्ट के द्वारा गैर मुमकिन तलाई की भूमि पर अतिक्रमण होना मानकर अपीलान्ट की अपील को खारिज किया है। यद्यपि यह सही है कि विवादित भूमि

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

की किस्म गैर मुमकिन तलाई है। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 की पालना में विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व शास्ती राशि आरोपित किये जाने के दण्ड में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने तथा अपीलाधीन निर्णय में वर्णित शास्ती की राशि वसूल किये जाने का रिकार्ड संलग्न है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय में पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए अपीलान्ट को 1 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का प्रश्न है तो इसे यथावत रखा जाना उचित नहीं है, क्योंकि पश्चातवर्ती अतिचारी साबित करने, पूर्व में किये गये अतिक्रमण' की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न करने, पूर्व में पारित निर्णय की प्रति, बेदखली रिपोर्ट आदि प्राप्त किया जाना राजस्व अधिकारी का दायित्व है। जिसका कि उपरोक्त प्रकरण में अभाव है, क्योंकि न तो नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में और न ही अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की निर्णय संबंधी पत्रावली में इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज संलग्न है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्व के वर्षों में कब्जा रहा हो तथा उसे बेदखल किया गया हो। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 में पारित 1 माह के सिविल कारावास की सजा व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 में सिविल कारावास की सजा को यथावत रखे जाने के निर्णय को उचित नहीं कहा जा सकता।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 जिसके द्वारा सिविल कारावास की सजा को यथावत रखा गया है, को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकिन तलाई है पर अतिक्रमण के संबंध में पुनः जॉच करें। यदि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अभी–भी अतिक्रमण पाया जावे तो पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय, बेदखली रिपोर्ट आदि प्राप्त कर पटवारी हल्का के मुद्रित प्रारूप की बजाय स्वतंत्र तरीके से बयान आदि लेने के पश्चात सिविल कारावास के संबंध में नये सिरे से निर्णय की प्राप्ति के अधिकतम 2 माह में निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर